उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-650/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(193)-2021

लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-838/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(08)-2017 दिनांक 30 जून, 2017, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में, प्रथम प्रस्तर में, प्रथम परंतुक में, -

(एक) शब्द, अक्षर और अंक "जिनको प्ररूप जीएसटी आर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, किन्तु जो स्तम्भ(4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तिथि तक, देय कर के संदाय के साथ, प्रस्तुत नहीं करतें है" के स्थान पर शब्द जो कर का संदाय करने के लिये दायी है किन्तु ऐसा करने में विफल रहता है" रख दिये जायेंगे;

(दो) सारणी मे, स्तंभ (4) में, शीर्षक में, शब्द "कर अवधि" के स्थान पर, शब्द "माह/ तिमाही" रख दिये जायेंगे;

(तीन) सारणी में, क्रम संख्या 3, 4, 5 और 6 के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं रख दी जायेंगी, अर्थात्:-

1	2	3	4
"3	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख से प्रथम 15 दिन के लिए 9 प्रतिशत, तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	मार्च, 2021, अप्रैल, 2021 और मई, 2021
4	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने के लिये दायी हैं	नियत तारीख से प्रथम 15 दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले 45 दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	मार्च, 2021,
		नियत तारीख से प्रथम 15 दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले 30 दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	अप्रैल, 2021,
		नियत तारीख से प्रथम 15 दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले 15 दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	मई, 2021,

5	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने के लिये दायी हैं	नियत तारीख से प्रथम 15 दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले 45 दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	मार्च, 2021,
		नियत तारीख से प्रथम 15 दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले 30 दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	अप्रैल, 2021,
		नियत तारीख से प्रथम 15 दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले 15 दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	मई, 2021,
6	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट विवरणी प्रस्तुत करने के लिये दायी हैं	नियत तारीख से प्रथम 15 दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले 45 दिन के लिए 9 प्रतिशत और तत्पश्चात् 18 प्रतिशत	तिमाही जो मार्च, 2021 को समाप्त हो रही है “।

2. यह अधिसूचना तारीख 18 मई, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव